राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / जीएनएम / एनआरएचएम / 09 / 1759 दिनांकः– 27/8/09

::– आदेश –::

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक–28.2.09 को 6635 जीएनएम की राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें बिना ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किये उच्च माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुये शामिल नहीं किया गया था। इनकी पात्रता के बिन्दू पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर पीठ में अनेक याचिकाऐं दायर हुई। मा0 न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा बिना ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी इस पद हेतु पात्र घोषित किया गया है। प्रकरणों का राज्य सरकार द्वारा विस्तार से परीक्षण करने के उपरांत सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है, कि जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, उन्हें, यदि वे वरीयता सूची में स्थान पाने में सफल रहे हैं, नियुक्ति प्रदान कर दी जावे।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को विभिन्न याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पालना में वरीयता के आधार पर चयन योग्य पाये जाने पर एनआरएचएम योजना में अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले को एतद्द्वारा आवंटित किया जाता हैः–

क सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	लिंग	औसत प्राप्तांक प्रतिशत	पद स्थापन स्थान सीएचएमओ, के अधीन
1	शर्मिला पानेरी	श्री भगवतीलाल पानेरी	उदयपुर	14.11.78	सामान्य	महिला	68.739	उदयपुर
2	कपिल कुमार	श्री वेदप्रकाश मखीजा	अलवर	15.09.81	सामान्य	पुरूष	65.999	अलवर
3	मोहनलाल	श्री रामचन्द्र	जालौर	30.07.79	ओबीसी	पुरूष	69.273	जालोर
4	सत्यपाल	श्री भैराराम	जालौर	11.05.79	ओबीसी	पुरूष	65.166	जालोर
5	संजय नागर	श्री सुरेश चंद नागर	जयपुर	21.07.79	सामान्य	पुरूष	68.652	जयपुर–1
6	किशन सिंह	श्री दातार सिंह	पाली	14.06.77	सामान्य	पुरूष	68.291	पाली
7	हर्षा डामोर	श्री कमजी भाई डामोर	उदयपुर	09.12.80	एसटी	महिला	64.235	चित्तौड़गढ
8	राधेश्याम	श्री बद्री प्रसाद जोशी	पाली	02.01.77	सामान्य	पुरूष	65.863	पाली
9	विक्रम गौतम	श्री ओमप्रकाश गौतम	स0मा0	27.01.79	सामान्य	पुरूष	68.102	सवाई माधोपुर
10	अनिता	श्री इन्द्राज सिंह	झुन्झुनू	31.12.81	ओबीसी	महिला	73.777	झुन्झुन
11	भगवान सहाय	श्री मांगूराम	सीकर	20.07.77	ओबीसी	पुरूष	65.183	सीकर

इन अभ्यर्थियों से अनुबन्ध करते समय निम्न शर्तों की पालना संबंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेः–

1. यह अनुबन्ध वित्तीय **वर्ष 2009–10** के लिये किया जाना है।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेजों से कराया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र / दस्तावेज– फर्जी, / परिवर्तित, / कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक / दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
4. अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे नवीनीकृत करवाकर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही उपस्थिति ली जावे।
5. महिला अभ्यार्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिये । पति के ~~नाम~~ से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी से

पिता के नाम का प्रमाण पत्र मांगा जावे। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति नही ली जावे।

6. राजस्थान नर्सिंग कौसिल, जयपुर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीनीकृत होना चाहिये तथा जिसकी वैद्यता उपस्थिति प्रस्तुत करने से पूर्व समाप्त नहीं होनी चाहिये । यदि रिपोर्ट करते समय नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपस्थिति नहीं ली जावे।
7. दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी अनुबन्ध के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, शपथ पत्र संबंधित अभ्यार्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
8. अभ्यार्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें।
9. उक्त अभ्यार्थियों को **दिनांक 30.09.09** तक संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी पात्रता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा उपस्थति प्रस्तुत करने के पश्चात उसे संबंधित चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी से अनुबन्ध किये जाने हेतु आवंटन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एफ.1 (5)/एफडी/रूल्स/2002 दिनांक–9.1.07 की अनुपालना में निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय द्वारा उनके परिपत्र कमांक–एफ.20(एमपीपी)एचआरडी/एनआरएचएम/2007/700 दिनांक–9.5.07 के साथ प्राप्त व्यक्तिगत अनुबन्ध का प्रपत्र एवं प्रथम पक्ष (इस योजना के तहत जीएनएम व्यक्तिगत संविदा नियोजन होने वाली प्रार्थी) को दी जाने वाली अन्य सुविधाऐं एवं शर्ते पूर्व में जीएनएम रखे जाने के प्रथम चरण में अपनाई गई प्रक्रिया यथावत होगी। इनकी प्रतियां आपको पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः–नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/1759 दिनांकः– 27/8/09

प्रतिलिपि निम्न को मय विज्ञप्ति प्रति के सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एनआरएचएम मुख्यालय ।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में उक्त समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करें ।
5. संबंधित अभ्यर्थी
6. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर